कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा, संभाग बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)

Email Id : jdedu.bastar@gmail.com
Phone Number & Fax No. : 07782-228340

---:: आदेश ::---

क्रं./ 260 /स्था.02/प्र.अ.मा.शा.पदो./एल.बी. ई संवर्ग/2021–22 जगदलपुर, दिनांक 28/01/2022

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्र0/एफ 2–86/2021/20–दो अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा छ0ग0 स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासकीय संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 की अनुसूची – चार के सरल क्र0 14,15,17 एवं 19 पर क्रमशः शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (स्नातक/प्रशिक्षित) से प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) सहायक शिक्षक (स्नातक/प्रशिक्षित) से शिक्षक एवं सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) से प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर पदोन्नति हेतु कॉलम (3) में निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव को 03 वर्ष निर्धारित करने के फलस्वरुप विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर शिक्षक एल0बी0 (ई संवर्ग) (स्नातक/प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान अध्यापक (पूर्व माध्यमिक शाला) के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स 35400–112400 लेवल–08 (वेतन बैंड रू. 9300–34800 ग्रेड वेतन –4200) से वेतन मैट्रिक्स 38100–120400 लेवल–09 (वेतन बैंड रू. 9300–34800 ग्रेड वेतन –4300) में एतद् द्वारा पदोन्नति करते हुए अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रुप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्र0 06 में दर्शायें गये पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ किया जाता है :–

स0 क0	शिक्षक का नाम	कार्यरत संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम	जिला का नाम	पदोन्नति में पदस्थ संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री प्रेमसिंह बघेल	मा0शा0 गारेंगा	बकावण्ड	बस्तर	मा0शा0 गारेंगा	बकावण्ड	बस्तर
2	श्रीमती जोहरी मरकाम	मा0शाला केरावाही	माकड़ी	कोण्डागॉव	मा0शा0 केरावाही माकड़ी	माकड़ी	कोण्डागांव
3	श्रीमती सुमन दास	मा0शा0 बाबूसेमरा	जगदलपुर	बस्तर	मा0शा0 छिन्दबहार	दरभा	बस्तर
4	श्रीमती ललिता श्रीवास	मा0शा0 दुबेउमरगांव	बस्तर	बस्तर	मा0शा0 बनियागांव	बस्तर	बस्तर
5	खोलेश्वर पाण्डे	मा0शा0 बाबूसेमरा	जगदलपुर	बस्तर	मा0शा0 करीतगांव	बकावण्ड	बस्तर
6	श्रीमती भागवती बघेल	मा.शा.करीतगांव	बकावण्ड	बस्तर	मा0शा0 बोरपदर	बकावण्ड	बस्तर
7	श्री शिवलाल मरकाम	मा. शा. दहिकोंगा	कोण्डागांव	कोण्डागांव	मा.शा.करपावण्ड	बकावण्ड	बस्तर
8	श्री राधा कृष्ण मिश्रा	मा0शा0अरंडी	केशकाल	कोण्डागांव	मा0शा0 लिहागांव	बडेराजपुर	कोण्डागांव
9	श्री जीवन लाल यामले	मा. शा. मर्दापाल	कोण्डागांव	कोण्डागांव	मा0शा0 बडेकनेरा	कोण्डागांव	कोण्डागांव
10	श्रीमती कृष्णा सज्जल	मा0शा0 बोरगांव	फरसगांव	कोण्डागांव	मा0शा0बांसकोट	बडेराजपुर	कोण्डागांव
11	श्री मनोज कुमार सिंह	मा. शा. सोनाबाल	कोण्डागांव	कोण्डागांव	मा0शा0 पखांजूर	कांकेर	कांकेर

निर्देश/शर्तें :–

1. ये पदोन्नतियाँ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक/एफ 20–03/2019/1–3 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23.12.2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के विरूद्ध माननीय छ0ग0

उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P./PIL/NO.-91/2019 Date 08-01-2020 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

2. जिन कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित अथवा कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो ऐसे कर्मचारियों के लिये आदेश लागू नहीं होगा ऐसी स्थिति में उन्हें भारमुक्त न किया जावे एवं जानकारी इस कार्यालय को भेजी जावे।
3. उक्त पदोन्नत कर्मचारियों को दिनांक 08.02.2022 तक पदोन्नत पद एवं संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
4. यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति से इन्कार करना चाहते हैं, उन्हें दिनांक 08.02.2022 तक पदोन्नति नहीं चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से लिखित अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. पदोन्नति से इन्कार करने वाले कर्मचारियों के अनुरोध पत्र पर सुसंगत बातों पर विचार करते हुए पदोन्नति नहीं चाहने का कारण स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जायेगा । अभ्यावेदन स्वीकार नही होने पर चयन सूची के अगले कर्मचारी को पदोन्नत किया जावेगा और ऐसे कर्मचारियों को प्रथम पदोन्नति के इन्कार करने की तारीख से 01 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्तता के उद्भूत होने तक जो भी पश्चातवर्ती हो, पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
6. पदोन्नत कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति से इन्कार किये जाने पर छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/1–1/1/वे.आ.प्र./99/दिनांक 23.09.2012 के तहत् उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जायेगा।
7. पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020/एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
8. यदि "टी" संवर्ग के कर्मचारी को "ई" संवर्ग की संस्था में एवं "ई" संवर्ग के कर्मचारी को "टी" संवर्ग की संस्था में पदोन्नत किया गया हो तो कार्य भार ग्रहण न करावें तथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।
9. पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है, तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्य भार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेगें। उनके रिलीवर आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे ।

संयुक्त संचालक शिक्षा
संभाग बस्तर (छ0ग0)

पृ.क्रं./261 /स्था.02/प्र.अ.मा.शा.पदो./एल.बी. ई संवर्ग/2021–22 जगदलपुर, दिनांक 28/01/2022

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. कलेक्टर, (समस्त) बस्तर संभाग को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
5. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन बस्तर संभाग को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला– बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपसे प्राप्त प्रस्ताव अनुसार तैयार वरिष्ठता सूची अनुक्रम में शिक्षक संवर्ग जो पदोन्नति की अर्हता रखते हैं, को पदोन्नत किया गया है। उपरोक्त शिक्षकों के प्रस्ताव में कोई विसंगति/त्रुटि हो तो तत्काल इस कार्यालय में सूचना प्रस्तुत करें, ताकि उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
7. जिला कोषालय अधिकारी (समस्त) बस्तर संभाग को सूचनार्थ।

8. संबंधित प्राचार्य, हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी, बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ कर लेख है कि संबंधित पदोन्नत कर्मचारी की पात्रता में किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उन्हे पदोन्नत पद के लिए भारमुक्त न करते हुए इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
9. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (समस्त) बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ, लेख है कि संबंधित पदोन्नत कर्मचारी की पात्रता में किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उन्हे पदोन्नत पद के लिए भारमुक्त न करते हुए इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
10. संबंधित शिक्षक को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत स्थान में निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में लिखित रूप से सूचना उचित माध्यम से इस कार्यालय को भेंजे।

संयुक्त संचालक शिक्षा
संभाग बस्तर (छ0ग0)